(राजस्थान–सरकार)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रथम अपील संख्या :– 21 / 2024

पंजीकरण संख्या :– 2024 / 173

बउनवान

श्री गुरूजन्ट सिंह पुत्र श्री निधान सिंह निवासी मकान नं. 1 / 41 शिवराज भवन, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, अन्ता जिला बारॉ (राज.) मो.नं. 9509028067

(अपीलार्थी)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, अन्ता जिला बारां

(प्रत्यर्थी)

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1)

निर्णय दिनांक 30.10.2024

अपीलार्थी द्वारा दिनांक 04.07.2024 को लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, अन्ता को अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर 03 बिन्दुओं की सूचना निम्नानुसार चाही गई थी :–

कार्यालय नगर पालिका अन्ता, जिला बारॉ (राज.) के पत्र क्रमांक / न.पा.अ. / सफाई / 2024 / 266–70 दिनांक 13.05.2024 विषय सरकारी भूमि जगात भवन के पास पत्थर डालकर अतिक्रमण का प्रयास श्री गुरूजन्ट सिंह द्वारा किया जा रहा है, इसकी प्रतिलिपी तहसीलदार अन्ता को प्राप्त हुई है। इस सम्बन्ध मे निम्नलिखित सूचनाऐं उपलब्ध करवायी जावे :–

1– तहसीलदार अन्ता द्वारा इस पत्र के संबंध मे अतिक्रमण के बाबत की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपी।

2– इस पत्र के संबंध मे की गई विभागीय जांच व नगर पालिका अन्ता को दिए गए उत्तर / जवाब की प्रमाणित प्रतिलिपी।

3– अतिक्रमी श्री गुरूजन्ट सिंह को दिए गए नोटिस की अथवा किए गए पत्र व्यवहार की प्रमाणित प्रतिलिपी उक्त पत्र के संबंध मे।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार अन्ता द्वारा पत्रांक / एल.आर. / 2024 / 2783–84 दिनांक 15.07.2024 से अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका अन्ता जिला बारॉ को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत अन्तरित कर दिया गया। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना आदिनांक तक तहसीलदार अन्ता एवं अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका अन्ता जिला बारॉ किसी से भी प्राप्त नही हुई है। अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र मे 03 बिन्दुओं की चाही गई सूचना उपलब्ध करवाई जावे।

इस पर प्रस्तुत प्रथम अपील को दिनांक [illegible].2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, अन्ता को जरिये सम्मन क्रमांक 1278–1279 दिनांक 14.10.2024 से तलब कर, प्रस्तुत अपील मय की छायाप्रति भिजवाई जाकर जवाब तलब किया गया तथा अपीलार्थी को भी जरिये सम्मन क्रमांक 1278–1279 दिनांक 14.10.2024 से तलब किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.01.28 15:58:07 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय मे उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 04.07.2024 को लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार अन्ता को प्रस्तुत आवेदन पत्र मे चाही गई सूचना आदिनांक तक प्राप्त नही हुई। अतः अपीलार्थी को चाही गई सूचनाऐं निःशुल्क उपलब्ध करवाये जाने के आदेश लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार अन्ता को दिये जावे। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, अंता द्वारा पत्र क्रमांक / भू.अ. / 2024 / 4653–54 दिनांक 07.11.2024 से जवाब इस न्यायालय में प्रस्तुत करते हुए प्रतिलिपि अपीलार्थी को भी भिजवाई गई है।

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, अंता द्वारा प्रकरण मे प्रस्तुत जवाब मे अवगत करवाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नगरपालिका, अंता से जारी पत्र क्रमांक/न.पा.अ./सफाई/2024/266–70 दिनांक 13.05.2024 के संबंध में सूचना चाही गई थी, जो नगरपालिका से संबंधित होने के कारण इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/एल.आर./2024/2783–84 दिनांक 15.07.2024 से नगरपालिका, अंता को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के तहत प्रार्थना पत्र अंतरित कर दिया गया था। जिसकी प्राप्ति संलग्न है। नगरपालिका, अंता द्वारा कोई जवाब अपीलार्थी को नहीं दिया गया और न हीं की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करवाया गया।

नगरपालिका, अंता से जारी पत्र क्रमांक/न.पा.अ./सफाई/2024/ 266–70 दिनांक 13.05.2024 श्री गुरूजंट सिंह अपीलार्थी को जारी किया गया है जिसकी प्रतिलिपि तहसीलदार, अंता को भेजी जाना बताया गया है, लेकिन उक्त पत्र की प्रतिलिपि कार्यालय तहसीलदार, अंता में प्राप्त नहीं हुई है। उक्त पत्र की तलाशी के लिए सर्च नोट जारी किया जा चुका है। फिर भी उक्त पत्र इस कार्यालय में नहीं मिला है। नगरपालिका अंता द्वारा जारी पत्र की प्रतिलिपि लेने हेतु अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका अंता को (इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/भू.अ./2024/2599–2600 दिनांक 26.10.2024 एवं स्मरण पत्र क्रमांक/भू.अ./2024 /4613 दिनांक 04.11.2024 से लिखा गया है जिसकी प्राप्ति संलग्न है।) पत्र भेजे गये थे परंतु नगरपालिका, अंता द्वारा कोई जवाब नहीं भेजा और न हीं उक्त पत्र की प्रतिलिपि उपलब्ध करवाई गई।

इसके अतिरिक्त यदि अपीलार्थी कोई सूचना चाहता है, तो कार्यालय समय व दिवस पर उपस्थित होकर रिकार्ड का निरीक्षण कर लेवें। इसके पश्चात् अपीलार्थी जो भी सूचना चाहेगा, नियमानुसार उपलब्ध करवायी जावेगी।

अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील एवं लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, अंता से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया, जिससे पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र मे नगरपालिका, अंता से जारी पत्र क्रमांक/न.पा.अ./सफाई/2024/266–70 दि. 13.05.2024 के संबंध में 03 बिंदुओं की सूचना चाही गई थी। उक्त पत्र लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार अंता के कार्यालय में प्राप्त हीं नहीं हुआ और अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका अंता द्वारा भी अपीलार्थी को एवं लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार अंता को कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, अंता के विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत खारिज की जाती है। प्रकरण में अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका अंता को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उसको निःशुल्क शीघ्र उपलब्ध करवाई जावें। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपि अपीलार्थी को एवं लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, अंता तथा अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका अंता को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से सूचनार्थ एवं पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक **07.11.2024** को सरे ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.01.28 15:58:07 IST
Reason: SelfAttested

(दिवांशु शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर,
बारॉ